(c) Enforcement Wing of the Transport Department of the Government of National Capital Territory of Delhi and Delhi Traffic Police are empowered to check excess carriage in the local passenger buses and defaulters are regularly prosecuted as per provisions of the M.V. Act, 1988.

सभी राज्यों में सड़क सुरक्षा निदेशालय बनाया जाना

1258. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी राज्यों में सड़क सुरक्षा निदेशालय बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्यों में इस समय विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में उचित समन्वय के अभाव के कारण देश में दुर्घटनाओं की औसत दर अन्य देशों की तुलना में अधिक है;

(ग) क्या सरकार ने यातायात प्रणाली में सुधार करने और सड़क सुरक्षा नियमों में परिवर्तन करने पर विचार किया है;

(घ) प्रत्येक राज्य में प्रतिवर्ष कितने नये वाहनों का पंजीकरण किया जा रहा है, इस समय देश में प्रति किलो- मीटर वाहनों की औसत दर क्या है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 5 जनवरी, 1994 को नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा के संबंध में एक राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गयी थी, जिसमें अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गोष्ठी में विचार-विमर्श के दौरान एक सुझाव यह दिया गया था कि राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा उपायों का समन्वय करने के लिए यातायात और परिवहन दोनों विभागों में सड़क सुरक्षा कक्ष गठित किए जाएं। चूंकि गोष्ठी में दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन का संबंध मुख्यत: राज्य सरकारों से है इसलिए उन्हें आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र भेजे गए हैं।

(ख) दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी हैं और इनका कारण केवल राज्यों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच उपयुक्त समन्वय की कमी होना ही नहीं माना जा सकता। सरकार, सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए समन्वित नीतियां तैयार करने हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों पर दबाव डालने की हर संभव कोशिश कर रही है।

(ग) सरकार विभिन्न प्रकार के जागरुकता अभियान आयोजित कर रही है, जिनके जरिए शहरों में यातायात प्रणाली को सुधारने के लिए विशेष जोर दिया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित यातायात नियमों एवं यातायात प्रणाली में समय-समय पर उचित परिवर्तन किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना विवरण-I तथा-II में दी गयी है।

विवरण–I

देश में पंगीकृत नये वाहनों की वर्ष वार, राज्य वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989-90	1990-91
आन्ध्र प्रदेश	158525	161439
अरुणाचल प्रदेश	1749	1554
असम	24549	24017
बिहार	–	–
गोवा	15448	14519
गुजरात	235820	208869
हरियाणा	72659	–
हिमाचल प्रदेश	9211	11277
जम्मू तथा कश्मीर	–	–
कर्नाटक	142285	124655
केरल	57992	64326
मध्य प्रदेश	211280	204590
महाराष्ट्र	249986	247655
मणिपुर	–	–
मेघालय	2827	–
मिजोरम	1823	–
नागालैंड	6499	8031
उड़ीसा	45458	52362
पंजाब	122684	130578
राजस्थान	116456	121260
सिक्किम	–	–
तमिलनाडु	181881	193130
त्रिपुरा	2964	2184
उत्तर प्रदेश	225345	–
पश्चिम बंगाल	80553	–
संघ राज्य क्षेत्र		
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1379	1330
चंडीगढ़	–	–
दादर नगर हवेली	754	479
दमन एवं दीव	1999	1426
दिल्ली	172017	175358
लक्षदीप	–	135
पांडिचेरी	5531	7116
अखिल भारत :	**2148673**	**2215485**

विवरण–II

1991 में राज्य वार यातायात सघनता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वाहन संख्या (लाख में)	सड़क की लम्बाई (कि०मी० में)	जनसंख्या (लाख में)	वाहनों की संख्या/सड़क की लम्बाई 100 कि०मी०	वाहनों की संख्या% 1 लाख जनसंख्या
1	2	3	4	5	6
राज्य					
आन्ध्र प्रदेश	14 16	1.39	563.05	1052	2203
अरूणाचल प्रदेश	0.06	0.07	8.58	82	679
असम	2.84	0.65	222.95	439	1272
बिहार	10.45	0.85	863.39	1230	1210
गोवा	11.31	0.06	11.89	2237	11251
गुजरात	20.52	0.77	411.74	2672	4985
हरियाणा	5.33	0.26	163.18	2063	3266
हिमाचल प्रदेश	0.67	0.24	51.11	279	1313
जम्मू तथा कश्मीर	1.25	0.13	77.19	955	1619
कर्नाटक	14.33	1.53	448.17	936	3197
केरल	6.48	2.13	290.11	304	2233
मध्य प्रदेश	14.60	1.28	661.36	1141	2208
महाराष्ट्र	27.03	2.17	787.07	1247	3435
मणिपुर	0 47	0.07	18.27	710	2556
मेघालय	0.32	0.06	17.61	508	1796
मिजोरम	0.16	0.03	6.86	462	2298
नागालैंड	0.64	0.08	12.16	802	5301
उड़ीसा	4.24	1.74	315.12	244	1346
पंजाब	13.29	0.54	201.91	2458	6585
राजस्थान	8.98	1.12	438.81	803	2047
सिक्किम	0.23	0.02	4.04	1462	5592
तमिलनाडु	15.39	1.94	556.38	795	2766
त्रिपुरा	0.21	0.14	27.45	149	767
उत्तर प्रदेश	18.89	1.88	1387.68	1009	1368
पश्चिम बंगाल (अ)	8.97	0.61	679.83	1459	1320
संघ राज्य क्षेत्र					
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.09	0.01	2.78	1191	3307
चंडीगढ़	2.58	0.01	6.41	17558	40338
दादर नगर हवेली	0.06	0.00	1.39	1862	4233
दिल्ली	18.13	0.19	93.70	9626	19348
दमन एवं दीव	0.08		1.01		7502
लक्षदीप	0.00		0.52		818
पांडिचेरी	0.80	0.02	7.89	3205	10117
अखिल भारत :	213.10	19.98	8439.31	1066	2525

*1989 से संबंधित ।

आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी के संबंध में वाहनों की संख्या अनुमानित है ।